

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2012—फाल्गुन 5, शक 1933

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्रमांक 1436-एफ-3-4/2012/तेरह : मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 23 की उपधारा (1), (2) तथा (3), धारा 24 तथा धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) और (7) तथा धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त नियमों में, नियम 7 में,-

- (1) उपनियम (10) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए.

अर्थात् :-

“(घ) ऐसे कार्मिकों को, जो एम.पी. ट्रेडको को अंतरित हो गए हैं अथवा जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल में बनाए रखे गये हों, पेंशन तथा सेवांत प्रसुविधाओं के आशय तथा प्रयोजन के लिए ट्रांसको का कार्मिक समझा जाएगा तथा ऐसे कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवांत प्रसुविधाओं के लिए किया गया समस्त अंशदान ट्रांसको द्वारा किया जाएगा तथा यह ट्रांसको के राजस्व पर भारित होगा।

(2) उपनियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(10क)(एक) अंतरण की तारीख तक पेंशन तथा अन्य सेवांत प्रसुविधाओं के लिए अंशदान दो कालावधियों की बाबत होगा, अर्थात्:-

(क) 31 मई, 2005 तक, जब कि शासन आदेश क्रमांक 3679 दिनांक 31/5/2005 उत्तरवर्ती कम्पनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से कियाकलाप संचालित करने हेतु अधिसूचित किया गया था; और

(ख) 1 जून, 2005 से जब से कि शासन आदेश दिनांक 31 मई, 2005 के निबंधनों के अनुसार उत्तरवर्ती कम्पनी द्वारा कियाकलाप संचालित किए जा रहे हों, अंतरण की तारीख तक, जिस कारण से कार्मिकों द्वारा पूर्व में दी गई सेवाएं इस बात के होते हुए भी कि अंतरण की तारीख तक संबंधित उत्तरवर्ती कम्पनियों की सेवा में कार्मिकों को अंतरित या स्थायी रूप से आगेलित नहीं किया गया था, उत्तरवर्ती कम्पनियों में दी गई सेवाएं मानी जाएंगी।

(दो) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल/मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल के कार्मिकों द्वारा 1-10-2003 के पूर्व की अवधि की सेवाओं को सम्मिलित करते हुए, 31 मई 2005 तक की गई सेवाओं के संबंध में, पेंशन तथा अन्य सेवांत प्रसुविधाओं के लिए अंशदान ट्रांसको द्वारा किया जाएगा।

(तीन) 1 जून 2005 से अंतरण की तारीख तक, पूर्व में की गई सेवाओं के लिये पेंशन तथा अन्य सेवांत प्रसुविधाओं हेतु अंशदान, ट्रांसको द्वारा एम.पी. ट्रेडको के कार्मिकों तथा ऐसे बोर्ड, जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से उत्तरवर्ती कम्पनियों को अंतरित नहीं हुए हैं, किए गए अंशदान के अतिरिक्त संबंधित अंतरिती द्वारा किया जाएगा।

(चार) मण्डल के कार्मिकों की ऊपर खण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट सेवाओं के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष देय पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं की रकम के भुगतान के लिए बनने वाली निधि में अभिदाय तथा संबंधित चालू वर्ष की सेवा के लिए किए जाने वाले अंशदान की रकम, जिसे प्रथम अंतरण योजना नियम के नियम 7(10) के उपखण्ड (ग) में निर्दिष्ट किया गया है, संबंधित अंतरितियों जिसमें ट्रांसको भी सम्मिलित है, के राजस्व पर भारित होगी।

(3) अधिसूचना क्रमांक 6061-एफ आर एस-6-2007-तेरह, दिनांक 19 सितम्बर, 2007 में निर्दिष्ट नियत तारीख का, पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों के लिए किए जाने वाले अंशदान के प्रभाजन के संदर्भ में ही अर्थ लगाया जाएगा और उसका कार्मिक के अंतरण की तारीख से किसी भी रीति में कोई तात्पर्य नहीं होगा।

No. 1436-F-3-4/2012/XIII : In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2), (5), (6) and (7) of section 131 and 133 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-section (1), (2) and (3) of section 23, 24 and sub-section (2) of section 56 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No.4 of 2001), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Reform First Transfer Scheme Rules, 2003, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 7,-

(1) In sub-rule (10), after clause (c) the following clause shall be inserted, namely :-

"(d) Personnel who are transferred to M.P. Tradeco or who are retained in MPSEB

shall be treated, for the intent and purpose of pension and terminal benefits, as personnel of Transco and all contribution towards the pension and other terminal benefits in respect of such personnel shall be made by Transco and shall be a charge on the revenue of the Transco."

(2) after sub-rule (10), the following new sub-rule shall be inserted, namely :-

"(10A) (i) The contribution towards pension and other terminal benefits up to the date of transfer shall be in respect of two periods namely:-

(a) up till 31st May, 2005 when the Government order No. 3679 dated 31/5/2005 for conducting the activities independently by the successor companies was notified; and

(b) from 1st June, 2005 when the activities are being undertaken by the Successor Companies in terms of the Government order dated 31 May, 2005 until the date of transfer, wherefore the past services rendered by the personnel shall be the services rendered in the respective Successor Company notwithstanding that the personnel had not been transferred and permanently absorbed in the services of the successor companies till the date of transfer.

(ii) In regard to the services up to 31st May, 2005 including the period prior to 1-10-2003, the contribution towards pension and other terminal benefits for services rendered by the personnel in Madhya Pradesh State Electricity Board / Madhya Pradesh Electricity Board shall be made by Transco.

(iii) The contribution towards the pension and other terminal benefits for the past services rendered from 1.6.2005 till the date of transfer shall be made by the respective transferees including, in addition by Transco for personnel of M. P. Tradeco and for personnel of Madhya Pradesh State Electricity Board not transferred to the successor entities.

(iv) The subscription to the fund to be built up for payment of pension and other terminal benefits in regard to the services of the personnel of the Board, including as referred to in (i) to (iii) above, in addition to the amount of pension and other terminal benefits payable each year and also the contribution to be made for the respective current year of service shall be a charge on the revenue of the respective

transferees, including Transco, as the case may be, in respect of the contribution referred to in sub-clause (c) of sub-rule (10) of rule 7 of the First Transfer Scheme Rules.

- (3) The appointed date referred to in the notification No. 6061-F-R.S-6-2007-XIII dated 19th September, 2007, shall be construed with reference to apportionment of contribution to be made to pension and other terminal benefit liabilities and shall not in any manner have any implication to the date of transfer of personnel."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहम्मद सुलेमान, सचिव.